सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 4,87,021 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 2,29,051 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 6,66,576 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 1,84,863 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 32,439 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में 7,698 हितग्राही लाभान्वित।
- युवा कैरियर निर्माण योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के 434 छात्र–छात्राएं लाभान्वित।
- छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में नौ स्थलों (सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम सिहावा, जगदलपुर एवं रामाराम) को विकसित करने हेतु चिन्हांकित किया गया है।

समाज सेवा

16 समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील है।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे, जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :– योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:– योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है–

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,

- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –
    - घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
    - प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
    - पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
    - बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350 / – प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650 / – प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रूपये 350 / –प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 50 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रूपये 500 / –प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक / आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रूपये 20,000 / – की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

तालिका 16.1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति				
योजना	2019–20		2020–21 सितं. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख रू.	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख रू.	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	35303.18	487021	18034.22	476232
सुखद सहारा योजना	9872.24	229051	5125.10	225494
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	15926.06	382756	8954.08	408591
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	18401.62	666576	14466.10	656955
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6710.98	184863	4943.26	187296
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन येाजना	1184.54	32439	887.31	32406
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1609.44	7698	607.20	2897

16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150 से 190 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5,001 से रू. 8,000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकतम राशि रूपये 6,900/– तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :–प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों हेतु मेले/शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम राशि रूपये 6,900/– तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :–निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के निःशक्त होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं :–विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित हैं।

16.2.7 निःशक्तजनों के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं '' अन्तर्गत एकीकृत योजना :–प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए ''क्षितिज अपार संभावनाएं'' नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है।

16.2.7.1निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

दिये जाने वाले लाभ :–

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/– एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/– एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/–रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उच्च शिक्षा हेतु 74 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य निःशक्त व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिये जाने वाले लाभ :–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 8 निःशक्त प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1- A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2- B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3- C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत 5 निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

तालिका 16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति

योजना	2019–20		2020–21 सितं. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	841.79	3095	215.80	3095
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	235.16	15648	14.61	1896
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	74.63	2021	13.37	189
सामर्थ्य विकास योजना	275.41	2548	24.21	283
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	358.92	589	71.50	111
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाए	1629.31	1097	626.77	784

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :– वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष ''अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस'' जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता हैं तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 21 वृद्धाश्रम संचालित हैं। जहाँ 490 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 03 प्रशामक देखरेख गृह का संचालन किया जा रहा है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :– योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर यात्रा करायी जा रही है।

16.3.3 तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यकम/योजना :–तृतीय लिंग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :– 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार अधिकतम रूपये 6,900/– तक के डायबिटिक शू, नी–स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट् (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

तालिका 16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति				
योजना	2019-20		2020-21सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	426.47	21671	24.87	490
तीरथ–बरत योजना	0	0	0	0
तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	24.40	2919	0	2919
प्रशामक देखरेख गृह	21.78	31	12.00	31

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1विशिष्ट संस्थाऐं :–

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,633 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08, प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जनजाति के 392, पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 19 छात्रावास संचालित हैं एवं प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं।

प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की आश्रम शालाएं संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल विद्यालय, 71 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, प्रयास 09 एवं 19 क्रीड़ा परिसर संचालित हैं।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :–

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नयी सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है, योजना अंतर्गत प्रतिवर्श कक्षा 6 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 20 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 विद्यार्थियों इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

तालिका 16.4जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जाति	334	99.41
	अनुसूचित जनजाति	626	222.65
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	334	397.629
	अनुसूचित जनजाति	626	590.607
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	273	85.22
	अनुसूचित जनजाति	535	37.48

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.4 में दर्शित है।

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :–नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इस वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर गठन हेतु

वाणिज्य एवं बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियो जिन्होने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयो के साथ जारी रखी गई हो उन्हें विज्ञान के पदो एवं आयोजित की जाने वाली प्रीबीएड तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु आपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जावेगा। उपयोजना अन्तर्गत 500 सीटर बलिकाओं को प्रदाय हेतु दुर्ग जिला के मुख्यालय में 2013–14 मे प्रारम्भ की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.5 में दर्शित है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जनजाति	610	0.00
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जनजाति	610	126.07
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	0.00

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉं :–कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)				
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
<u>समूह–1–</u> (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच .डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियॉं) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी .ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई .सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा–डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	530	1200	550

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)				
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–2– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी .फार्मा), नर्सिग (बी .नर्सिंग), एल .एल.बी., बी .एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रेवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज– सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे– बैं किंग, इन्शयूरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	820	530
समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह– 1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी .ए., बी.एस.सी. ,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300	570	300
समूह –4– सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवषीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :–

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)					
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1 –मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
2 – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	100
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	100
3 – सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
4 – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
5 – कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:—

तालिका 16.8 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2019—20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	—	
	अनुसूचित जनजाति	—	
	पिछड़ा वर्ग	—	
2019—20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	52776	4334.43
	अनुसूचित जनजाति	66091	5069.85
	पिछड़ा वर्ग	151527	9029.43
2020—21 (अप्रैल 2020 से सिंतबर 2020)	अनुसूचित जाति	ऑन—लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गो के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे है, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथाक—पृथाक छात्रावास संचालित हैं, इन छात्रावासो में छात्र—छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 16.9 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019—20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	17122	855.36
	अनुसूचित जनजाति	66330	3625.73
	पिछड़ा वर्ग	396	22.00
2019—20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	17122	1607.76
	अनुसूचित जनजाति	66330	6917.68
	पिछड़ा वर्ग	396	42.00
2020—21 (अप्रैल 2020 से सिंतबर 2020)	अनुसूचित जाति	कोविड—19 के कारण छा./आ. में प्रवेश की प्रकिया प्रारम्भ नही की गई है।	827
	अनुसूचित जनजाति		3617.85
	पिछड़ा वर्ग		22.00

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,633 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 392 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 19 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। प्री.मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.9 में दर्शित है।

16.4.6 आश्रम शाला योजना :—प्रदेश में वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ शैक्षणिक सुविधा नहीं है ऐसे स्थानों में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती है। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती हैं, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र—छात्राओं

को निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.10 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.10 आश्रम शाला योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	3099	186.40
	अनुसूचित जनजाति	76151	4200.24
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	3099	343.55
	अनुसूचित जनजाति	76151	8012.54
2020–21 (अप्रैल 2020 से सिंतबर 2020)	अनुसूचित जाति	कोविड–19 के कारण छा./आ. में प्रवेश की प्रकिया प्रारम्भ नही की गई है।	172.87
	अनुसूचित जनजाति		4193.53

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रो को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जानाः—खाद्याान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ–साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.11 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.11 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	25707	162.80
	अनुसूचित जनजाति	165106	960.00
	पिछड़ा वर्ग	1450	9.00
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	25707	406.55
	अनुसूचित जनजाति	165106	2400.00
	पिछड़ा वर्ग	1450	22.43
2020–21 (अप्रैल 2020 से सिंतबर 2020)	अनुसूचित जाति	कोविड–19 के कारण छा. /आ. में प्रवेश की प्रकिया प्रारम्भ नही की गई है।	180.00
	अनुसूचित जनजाति		960.00
	पिछड़ा वर्ग		9.00

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :—विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विषयों के शिक्षको का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी जो कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं फलस्वरूप परीक्षा परिणाम में अपेक्षित स्तर पर कमी रहती है। इस

योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रावास /आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित /विज्ञान/वाणिज्य इत्यादि विषयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का क्रियान्वयन माह नवंबर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.12 में दर्शित है।

तालिका 16.12 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019)	अनुसूचित जाति	-	32.00
	अनुसूचित जनजाति	-	78.00
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	6200	50.00
	अनुसूचित जनजाति	28900	120.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	कोविड–19 के कारण छा./आ. में प्रवेश की प्रकिया प्रारम्भ नही की गई है।	-
	अनुसूचित जनजाति		-

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :– पोस्ट मेट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों बढती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है, इसके अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग विद्यार्थियों को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 500/– की दर से उपलब्ध कराई जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.13 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019)	अनुसूचित जाति	5410	111.20
	अनुसूचित जनजाति	18445	370.00
	पिछड़ा वर्ग	1050	21.20
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	5410	315.63
	अनुसूचित जनजाति	18845	1102.22
	पिछड़ा वर्ग	1050	53.56
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	कोविड–19 के कारण छा./आ. में प्रवेश की प्रकिया प्रारम्भ नही की गई है।	139.47
	अनुसूचित जनजाति		481.16
	पिछड़ा वर्ग		23.86

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः–

16.4.10.1 नर्सिग प्रशिक्षण योजना :– यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 नर्सिग प्रशिक्षण योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	65	45.19
	अनुसूचित जनजाति	84	55.64
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	220	193.93
	अनुसूचित जनजाति	329	274.37
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	93	60.59
	अनुसूचित जनजाति	141	77.61

16.4.10.2 हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :– राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर होस्टेस, एविएशन हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा की प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.15 में दर्शित है।

तालिका 16.15 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	अनुसूचित जाति	51	25.51
	अनुसूचित जनजाति	25	12.47
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	105	54.29
	अनुसूचित जनजाति	54	27.93
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	72	29.26
	अनुसूचित जनजाति	29	14.02

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :–इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.16 में दर्शित है।

तालिका क. 16.16 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019)	अनुसूचित जाति	24	3.60
	अनुसूचित जनजाति	48	7.20
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	60	4.20
	अनुसूचित जनजाति	180	14.97
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	0	0
	अनुसूचित जनजाति	0	0

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :–प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.17 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितंबर 2019)	अनुसूचित जाति	86	30.00
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	86	30.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)	अनुसूचित जाति	44	15.61

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकासः– वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :–

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006–07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुडी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि रू. 1,00,000 दिया जाता है।
- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक दलों को वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10,000 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला–बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत

आदिवासियों की लोकनृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चिर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि रू. 2 लाख से पुरस्कृत किया जाता है।
- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.18 में दर्शित है।

तालिका 16.18 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास(राशि लाखों में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2019–20 (अप्रैल 2019 से सिंतबर 2019)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	148	148.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	256	25.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	0	0
	4. शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	0	0
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	345	345.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	610	61.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	1	10.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.50
2020–21 (अप्रैल 2020 से सिंतबर 2020)	1. देवगुडी मरम्मत/निर्माण	280	280.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	0	0
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.35

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रू. 1.0 लाख प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना हेतु कुल राशि रू. 28.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.19 में दर्शित है।

तालिका 16.19 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जनजाति	–	–
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)		–	–
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)		–	–
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जाति	–	–
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)		1	1.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)		–	–

16.4.14 युवा कैरियर निर्माण योजना :–वर्ष 2003 से यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, इसके माध्यम से 50 सीटें जिला–रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीटें स्वीकृत हैं। ट्रायबल यूथ हास्टल द्वारका नई दिल्ली मे रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2018–19 मे ड्रॉपर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.20 में दर्शित है।

तालिका 16.20 युवा कैरियर निर्माण योजना (राशि लाख रूपयों में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धिॉ
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जाति	434	144.40
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	434	298.30
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	100	21.04

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :–नक्सल प्रभावित क्षेत्रो के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के 04 घटक हैं :–

1. **आस्था**:– नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चो के लिए अध्ययन कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारो के 220 बालक एवं कन्या दंतेवाडा जिला मुख्यालय पर स्थित गुरूकुल आवासीय विद्यालय में कक्षा 1ली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे है।
2. **सहयोग**:– इस योजना अंतर्गत 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियो को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त योजना वर्तमान में दंतेवाडा मुख्यालय योजना में सम्मिलित है।

3. **निष्ठाः**— इसके तहत पीडित परिवारों के लिए कक्षा 01 से 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत हैं। वर्ष 2020—21 से यह योजना बंद कर दी गई है।

4. **प्रयासः**— इसके तहत नक्सल प्रभावित 16 जिले के 10 वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रो को कक्षा 11वी 12वी तक स्कूली शिक्षा के साथ—साथ जे.ई.ई.(मेन/एडंवास) नीट/पी.ई.टी./सी.ए./सी. एस./ क्लैट/एन.टी.एस.सी. इत्यादि हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंम्बिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा तथा जशुपर जिले में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिसमें कुल 2,859 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजनाः—

तालिका 16.21 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं स्थानीय विकास कार्यक्रम
(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2019—20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2019—20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जनजाति	21 कार्य	9055.53
2020—21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	01 कार्य	360.00

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :—एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियो के सर्वागीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उददेश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 09 माडा पाकेट एवं 02 लद्यु अंचल संचालित हैं तथा विशेष जनजाति प्रकोष्ठ 06, विशेष पिछडी जनजाति विकास प्राधिकरण।

आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से माडा हेतु गठित समिति की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विभागों द्वारा जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहॅुच मार्गो, पुल—पुलियों एवं रपटो का निर्माण, शिक्षा संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाऐ तथा चिकित्सा आवास गृह का निर्माण कार्य एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण तथा व्यक्तिमूलक तथा परिवारमूलक कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवारमूलक कार्य भी किये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.21 पर दर्शित है।

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तारः—संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरचना संबंधी कार्य किये जाते हैं। जैसे— स्टॉपडेम का निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण, एकलव्य आदर्श आवासीय भवन निर्माण, शौचालय, स्नानागार निर्माण छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण, प्रयास भवन निर्माण आदि कार्य किये जाते है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः—

तालिका क. 16.22 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जनजाति	06 कार्य	7260.99
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जनजाति	06 कार्य	13571.63
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	09 कार्य	7580.14

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण द्वारा उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशु पालन, मत्स्य पालन, बाडी विकास, कृशि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं ली जाती हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.23 में दर्शित है।

तालिका 16.23 पण्डो एवं भुंजिया विकास			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 19)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जनजाति	05 कार्य	100.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	-

16.4.16.4 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :–भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंर्तगत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में जिला बेमेतरा के 30, बलौदाबाजार के 40 एवं जांजगीर–चांपा के 30 ग्रामों, द्वितीय चरण में मुंगेली के 40, बिलासपुर के 35 ग्राम इस प्रकार कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्हलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो का बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रांश 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.24 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना			(राशि लाख में)
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जाति	–	–
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जाति	243 ग्राम	161.01
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	242 ग्राम	3898.80

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :–

भारत सरकार अल्वसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम– प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किये गये है। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासांबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

तालिका 16.25 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अल्प संख्यक वर्ग	52 कार्य	190.69
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अल्प संख्यक वर्ग	86 कार्य	261.07
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर)	अल्प संख्यक वर्ग	05 कार्य	22.43

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल और आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र.16.25 में दर्शित है।

16.4.22 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः–

- **अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता** :– सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अत्याचार से पीडित व्यक्ति को अधिनियम धारा के तहत राहत सहायता एवं पुर्नवास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सद्भावना शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ, निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। अर्न्तजातीय विवाह योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा को प्रोत्साहित किया जाना है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.26 में दर्शित है।

तालिका 16.26 अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019)	अनुसूचित जाति	642	1140.00
	अनुसूचित जनजाति	331	445.00
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)	अनुसूचित जाति	1285	2281.54
	अनुसूचित जनजाति	663	895.23
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	450	1345.00
	अनुसूचित जनजाति	350	405.00

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :– योजनान्तर्गत विशेष पिछडी जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ–साथ व्यक्तिमूलक / परिवारमूलक एवं रोजगार वृद्धि कार्य कराये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.27 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2019–20 (अप्रैल 2019 से सितम्बर 19)	अनुसूचित जनजाति	–	–
2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020)	अनुसूचित जनजाति	08 कार्य	671.96
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	06 कार्य	639.39

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

- स्वदेश दर्शन योजना (ट्रायबल टूरिज्म सर्किट) :– भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से राशि रू. 99.00 करोड़ की योजना में कार्य कराया जा रहा है। भारत सरकार से 79.203 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस सर्किट में लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सर्किट में जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथियानवागांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल हैं। अभी तक 08 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।
- छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत प्रथम चरण में नौ स्थलों (सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम सिहावा, जगदलपुर एवं रामाराम) को विकसित करने हेतु चिन्हांकित किया गया है। कान्सेप्ट प्लान अनुसार इस योजना की अनुमानित लागत 137.45 करोड़ है।

  इस योजना के तहत शिवरीनारायण, चन्दखुरी एवं राजिम में क्रमशः 35.76 करोड़, 15.78 करोड़ एवं 13.12 करोड़ रूपए के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। शेष स्थलों का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

16.5 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। ''**जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969**'' के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण **"छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001"** के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 28 जिलों में 11667 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन करते हैं।

रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ग्राम पंचायत सचिव, पंजीयन करने के पश्चात्, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, एवं सभी सांख्यिकी भागों को जनपद पंचायत में हर महीने की मासिक बैठक में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जनपद पंचायत सीईओ को प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 146 जनपद पंचायत हैं। हर महीने जनपद पंचायत उनके अधिकार क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों से सांख्यिकी भाग मासिक सारांश के साथ एकत्र करके जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में जमा करते हैं।

राज्य में कुल 168 शहरी इकाइयां है, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका आधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय में समस्त इकाइयों से प्राप्त सांख्यिकी भागों का संकलन एवं डाटा प्रविष्टि कर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को प्रेषित की जाती है, जहां संकलन एवं विश्लेषण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

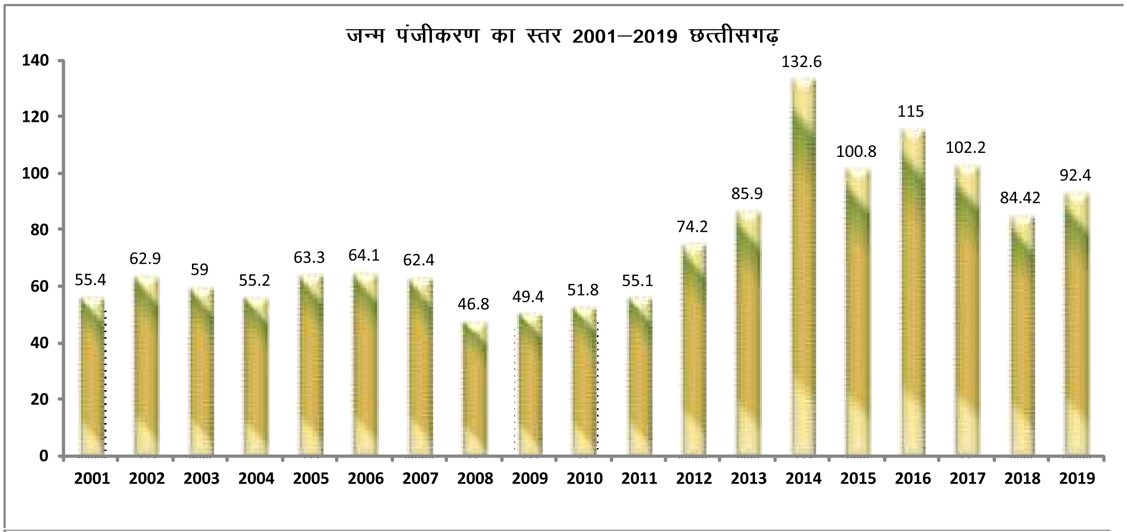

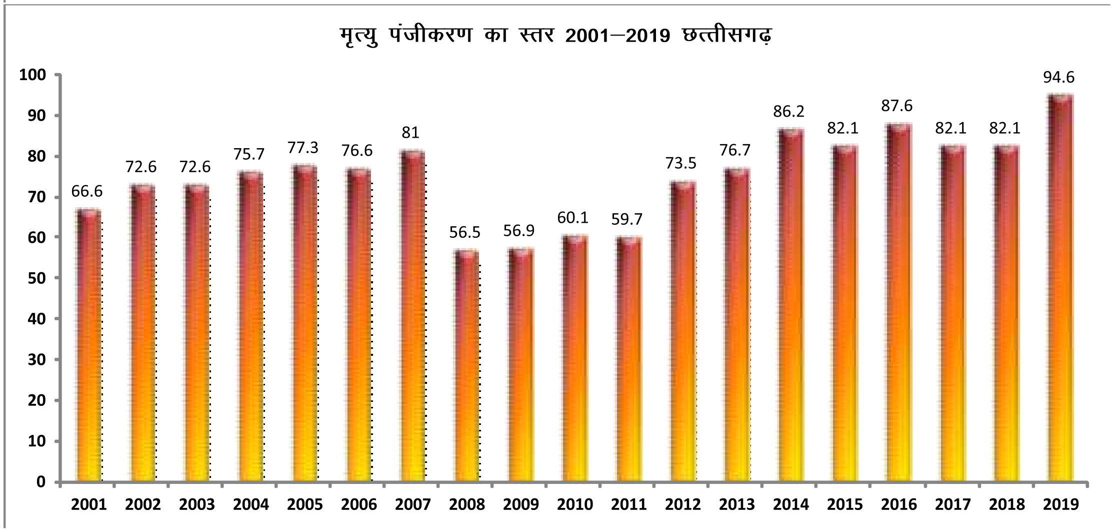

BIRTH 2016 (%)
CHHATTISGARH - 115.0
KOREA 94.0
BALRAMPUR 126.6
SURAJPUR 96.3
SURGUJA 145.3
JASHPUR 195.1
BILASPUR 144.3
KORBA 108.6
RAIGARH 109.5
MUNGELI 92.2
KABIRDHAM 73.6
JANJGIR-CHAMPA 128.3
BEMETARA 113.0
BALODA BAZAR 104.1
RAJNANDGAON 87.7
DURG 118.4
RAIPUR 103.3
MAHASAMUND 81.6
BALOD 39.7
DHAMTARI 109.2
GARIYABAND 107.8
KANKER 272.1
KONDAGAON 97.1
NARAYANPUR 92.0
BASTAR 112.6
DANTEWADA 99.6
BIJAPUR 64.3
SUKMA 80.1
Legends
91 & above
61-90
00-60

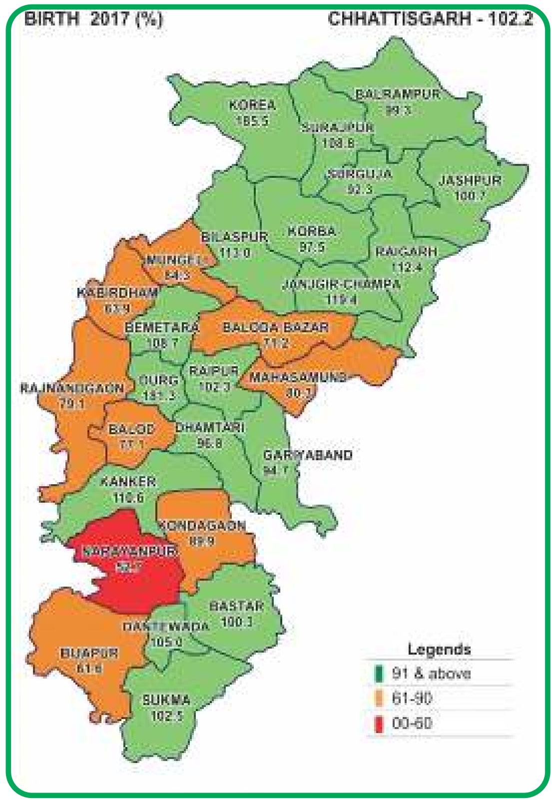
BIRTH 2017 (%)
CHHATTISGARH - 102.2
KOREA 185.5
BALRAMPUR 99.3
SURAJPUR 108.8
SURGUJA 92.3
JASHPUR 100.7
BILASPUR 113.0
KORBA 97.5
RAIGARH 112.4
MUNGELI 84.3
KABIRDHAM 63.9
JANJGIR-CHAMPA 119.4
BEMETARA 108.7
BALODA BAZAR 71.2
RAJNANDGAON 79.1
DURG 151.3
RAIPUR 102.3
MAHASAMUND 80.7
BALOD 77.1
DHAMTARI 96.8
GARIYABAND 94.7
KANKER 110.6
KONDAGAON 89.9
NARAYANPUR
BASTAR 100.3
DANTEWADA 105.0
BIJAPUR 61.6
SUKMA 102.5
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2018 (%)
CHHATTISGARH - 84.4
KOREA 96.3
BALRAMPUR 72.0
SURAJPUR 102.9
SURGUJA 88.2
JASHPUR 83.8
BILASPUR 81.4
KORBA 90.1
RAIGARH 78.1
MUNGELI 77.3
KABIRDHAM
JANJGIR-CHAMPA 89.4
BEMETARA 64.6
BALODA BAZAR 65.3
RAJNANDGAON 79.4
DURG 139.9
RAIPUR 84.4
MAHASAMUND 72.1
BALOD 72.7
DHAMTARI 95.1
GARIYABAND 82.0
KANKER 85.7
KONDAGAON 93.3
NARAYANPUR 79.3
BASTAR 95.2
DANTEWADA 97.8
BIJAPUR 93.9
SUKMA 68.7
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2019 (%)
CHHATTISGARH - 92.4
KOREA 106.6
BALRAMPUR 75.9
SURAJPUR 112.9
SURGUJA 101.8
JASHPUR 94.2
BILASPUR 97.4
KORBA 93.5
RAIGARH 87.7
MUNGELI 89.0
KABIRDHAM 69.7
JANJGIR-CHAMPA 98.9
BEMETARA 72.6
BALODA BAZAR
RAJNANDGAON 83.4
DURG 97.2
RAIPUR 101.4
MAHASAMUND 79.8
BALOD 68.5
DHAMTARI 104.4
GARIYABAND 91.5
KANKER 73.5
KONDAGAON 99.4
NARAYANPUR 133.1
BASTAR 117.7
DANTEWADA 107.4
BIJAPUR 97.5
SUKMA 95.7
Legends
91 & above
61-90
00-60

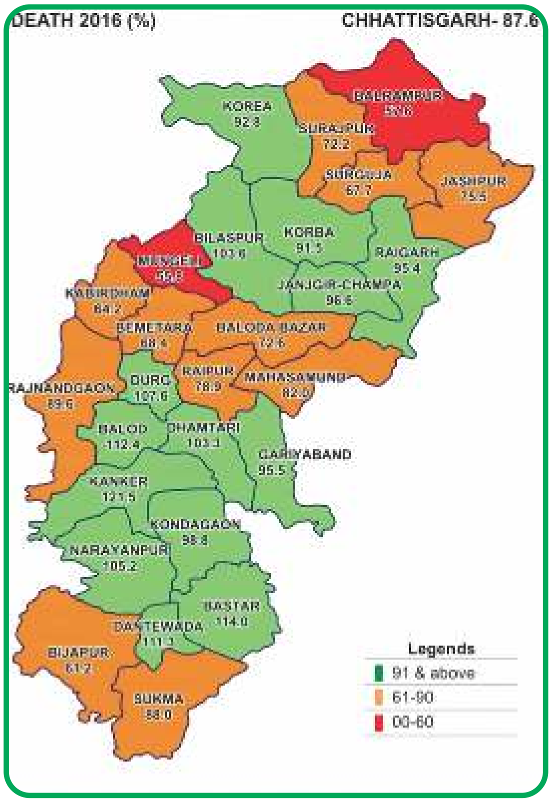
DEATH 2016 (%)
CHHATTISGARH- 87.6
KOREA 92.8
SURAJPUR 72.2
SURGUJA 67.7
JASHPUR 75.5
BILASPUR 103.6
KORBA 91.5
RAIGARH 95.4
JANJGIR-CHAMPA 96.6
KABIRDHAM 84.2
BEMETARA 88.4
BALODA BAZAR 72.6
RAJNANDGAON 89.6
DURG 107.6
RAIPUR 78.9
MAHASAMUND 82.0
BALOD 112.4
DHAMTARI 103.3
GARIYABAND 95.5
KANKER 121.5
KONDAGAON 98.8
NARAYANPUR 105.2
BASTAR 114.0
DANTEWADA 111.3
BIJAPUR 61.2
SUKMA 88.0
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2017 (%)
CHHATTISGARH- 82.1
KOREA 71.0
SURAJPUR 61.1
SURGUJA 97.4
JASHPUR 74.7
BILASPUR 100.2
KORBA 79.9
RAIGARH 85.2
JANJGIR CHAMPA 86.5
KABIRDHAM
BEMETARA 70.6
BALODA BAZAR 63.2
RAJNANDGAON 83.1
DURG 92.3
RAIPUR 111.3
MAHASAMUND 66.6
BALOD 107.6
DHAMTARI 93.4
GARIYABAND 83.5
KANKER 100.2
KONDAGAON 88.0
BASTAR 100.2
DANTEWADA 100.6
BIJAPUR
SUKMA 77.1
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2018 (%)
CHHATTISGARH- 82.1
KOREA 88.6
SURGUJA 79.2
JASHPUR 80.3
BILASPUR 93.5
KORBA 76.2
RAIGARH 82.8
JANJGIR-CHAMPA 85.1
MUNGELI
KABIRDHAM
BEMETARA 66.5
BALODA BAZAR 64.8
RAJNANDGAON 86.2
DURG 95.7
RAIPUR 118.3
MAHASAMUND 66.7
BALOD 112.3
DHAMTARI 87.7
GARIYABAND 80.2
KANKER 115.3
KONDAGAON 88.5
NARAYANPUR 67.8
BASTAR 87.0
DANTEWADA 94.6
BIJAPUR 67.9
SUKMA 74.3
Legends
91 & above
61-90
00-60

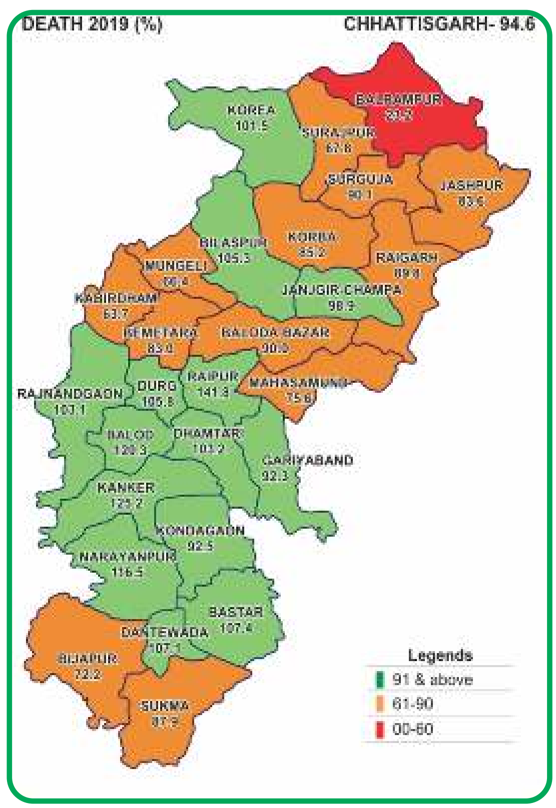
DEATH 2019 (%)
CHHATTISGARH- 94.6
BALRAMPUR
KOREA 101.5
SURAJPUR 67.8
SURGUJA 90.1
JASHPUR 83.6
BILASPUR 105.3
KORBA 85.2
RAIGARH 89.4
MUNGELI
JANJGIR CHAMPA 98.9
KABIRDHAM 63.7
BEMETARA 83.0
BALODA BAZAR 90.0
RAJNANDGAON 107.1
DURG 105.8
RAIPUR 141.3
MAHASAMUND 75.6
BALOD 120.3
DHAMTARI 103.2
GARIYABAND 92.3
KANKER 125.2
KONDAGAON 92.5
NARAYANPUR 116.5
BASTAR 107.4
DANTEWADA 107.1
BIJAPUR 72.2
SUKMA 87.3
Legends
91 & above
61-90
00-60